



Neutral Citation No. - 2026:AHC:34860

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 3872 वर्ष 2026

कालिदास

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : प्रवीण कुमार मिश्रा

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी., पंकज कुमार गुप्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत याचिकाकर्ता के विरुद्ध शुरू की गई कार्यवाही में, प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा 29.05.2018 को एकपक्षीय आदेश पारित किया गया था। उपरोक्त से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता द्वारा परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के आवेदन के साथ समय-बाधित वैधानिक अपील दायर की गई थी जिसे विलंब के आधार पर आदेश दिनांक 13.10.2025 द्वारा खारिज कर दिया गया था।
2. उपरोक्त से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की है।
3. कुछ तर्कों के बाद, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा एकपक्षीय आदेश दिनांक 29.05.2018 के विरुद्ध प्रत्यर्थी संख्या 3 अर्थात् सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/तहसीलदार न्यायिक, नौगढ़, सिद्धार्थ नगर के समक्ष रिकॉल आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति देने की प्रार्थना की गई है।
4. प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता द्वारा इस प्रार्थना का विरोध नहीं किया गया है।
5. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
6. पक्षकारों के अधिवक्ताओं की सहमति से और न्याय के हित में, वर्तमान रिट याचिका को याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी संख्या 3 अर्थात् सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/तहसीलदार न्यायिक, नौगढ़, सिद्धार्थ नगर के समक्ष रिकॉल आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति देते हुए अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है। यदि ऐसा आवेदन आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर दायर किया जाता है, तो प्रत्यर्थी संख्या 3 उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और निर्णय लेंगे, तथा उनके समक्ष ऐसा आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर सकारात्मक रूप से और शीघ्रता से उचित आदेश पारित करेंगे।

(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

17 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"